संख्या-77/2018/1565/24-1-18-1565(बजट)/2018

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक जून, 2018

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-806/ मु0म0प्र0(वित्त)/निधि-।।/आय-व्ययक/341/2018-19, दिनांक 04 जून, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रूपये 600,00,00,000/- (रूपये छः सौ करोड़ मात्र) (केन्दांश के रूप में धनराशि रूपये 444,00,00,000/- (रूपये चार सौ चौवालीस करोड़ मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रूपये 156,00,00,000/- (रूपये एक सौ छप्पन करोड़ मात्र) में से राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 156,00,00,000/- (रूपये एक सौ छप्पन करोड़ मात्र) वित्तीय स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जून, 2018 से माह नवम्बर, 2018 तक धनराशि रूपये 26,00,00,000/- (रूपये छब्बीस करोड़ मात्र) की छः समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में किसी अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -05-संचरण तथा वितरण -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -06- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु अंशपूँजी(के. 60/रा. 10/नि. 30-के.+रा.) (के.444 करोड़ रूपये + रा. 156 करेड़ रूपये) -30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-10-120/दस-2018, दिनांक 22 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-77/2018/1565(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली।
3- सचिव, समाज कल्याण विभाग।
4- कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
5- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
6- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
7- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

डा0 संजीव भारद्वाज
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in